उब्बोस-२ सचिवालय

विषय: - मान्विका अमाक उठल्यू सी. 19952 2015 प किलेक्ट्र का विभाग लाक् आहिरवार विकास महथ प्रदेश यासन एवं अन्य

मंत्री अमांक - 573/2016/डी-गर ्दारा - प्यं-वालनालम् र्थानाप निधा संपरीसा भोषाल (उर्गाल्य)

क्ष्या विचाराधीन पत्र का अवलोकन हो / क्षेत्रक रानेगालक, यनगालनालय क्यानीय निक्र रमंदीशा प्रकोण्ड भीपाल व्यारा यान्तिका अमांक ७.१. 19952/15 की हायाप्रति संख्य कर प्रकरण में अवालसवा प्रन्तुत करने हेलु प्रभारी अधिकारी की निमुवित अंशंदरी प्रस्ताव प्रेरकात किया गया ही 2 - थान्तिकाकता भी जिलेन्द्र लाव अस्टिरवार शारी य्यामीम निद्धि यंप्रतिसा अंतर्गत निः यावत अना है क्रिके विरोध भरती अभिभान के लटल मुट्य प्तक - अरारा (अस्तिय - लाधित) के पद पर नियुक्ति प्रहान न किमे आने की त्यसित हो १८ गांव न्यामालम् के अमल उरत थान्तिका पर-तृत की गर ही अवं थान्विका में अस्तिवादियों के अप में द्रमांक -1 ५८ " प्रमुख अचिव म. प्र. यासन क्लि विभाग, अंत्रालम् वल्लभ नवन भोषाख "

&-

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - या निका कुमांक उथ्वयू. भी 19952 2015 ही किल् विभाग किन मंत्री और वायू अटिरवार किल्हा महय परेरा रासन खंडान्य

र्श श्वाहवे !-

अपदेश की अन्तर अनियां हरता स्रारी अत्युम ।

301 Hother 300

505.3. 25/3 27/3 27/3

Mino

बाबक क्रमाक <u>किए 41625</u> दिनोक ... पुर्न के निर्मा है। बाद **उब्बीस-२** सचिवालय

विषयः थान्तिका क्रमांक अल्लर् ती. 1995 2 2015 मी जिल्ली का विभाग बाल् अहरवार विस्तृ महत्र प्रदेश थे।।सन स्पं अल्प

क्ष सण्ड ने!-

अन्रवा के खंदर्भ में अभारी अधिकारी की नियुक्त आदेश आरी किसे आ न्युके दें अन्रवा के खंदर्भ में अतिरक्षण अगदेश आरी करने हेतु ग्रन्ती बिहित विभाग को अंकित करना न्योंको

0g.03.16

35-35

अवार धरिषुव

विष्टा हिला

9/3

Sile?



मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 🕏 /3/ /2016

क्रमांक एफ-1(सी)/6/2016/ई/चार:- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.19952/2015 श्री जितेन्द्र बाबू अहिरवार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय वर्षांलय स्थानीय निधि संपरीक्षा,जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने। आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते है, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यीरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी.

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा.

(3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेंगा.

(4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा.

(5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा.

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजगा :-

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट.

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप.

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है.

(घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की

तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.

(7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना.

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना.

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली

कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा.

(10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो.

(11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा. वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए.

(12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छूपी हुई नहीं रह

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए.

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अगेषित करें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदिशानुसार,

(श्रृंखला संगीने) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल,दिनांक 8/3/ /2016

पृष्ठांकन क्रं. एफ-1(सी)/6/2016/ई/चार, प्रतिलिपि:-

सचिव,मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग,भोपाल।

रजिस्ट्रार,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।

महाधिवक्ता,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।

 संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,जबलपुर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए. वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

ove

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ-भोपाल

सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल, खण्ड 'ग'

दुरभाष क्रं. 0755-2570857, फेक्स 0755-2570857 E-Mail jdlfaudit@mp.gov.in

क्रं./संचा.स्था.नि.संप/प्रभो./न्याय.प्रक./N-167/2016/490 प्रति.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2016

सचिव म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल

विक विवास (स्थानमा) 17 12 feet 29/2/16

विषय:-याचिका क्रमांक / डब्ल्यू.पी. 19952 / 2015 श्री जितेन्द्र बाबू अहिरवार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य। संदर्भ:- उपपंजीयक म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका नोटिस दिनांक 14.01.2016

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से उपपंजीयक म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका नोटिस दिनांक 14.01.2016 का अवलोकन करना चाहेंगे (छायाप्रति संलग्न)। प्रकरण में लेख है कि श्री जितेन्द्र बाब अहिरवार द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत निःशक्तजनों के विशेष भरती अभियान के तहत भृत्य सह-फर्राश (अस्थि बाधित) के पद पर नियुक्त नहीं किये जाने से याचिका क्रमांक / डब्ल्यू पी. 19952 / 2015 से वाद दायर किया गया है। जिसमें प्रमुख सचिव म.प्र.शासन वित्त विभाग, संयुक्त संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर को प्रभारी अधिकारी वनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रभारी अधिकारी के आदेश शीघ जारी करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार!

भोपाल, दिनांक फरवरी 2016

पु.कं. / संचा.स्था.नि.संप / प्र.भो / न्याय.प्रक. / N-167 / 2016 / प्रतिलिपि :--

संयुक्त संचालक, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर की गेर सूचनार्थ प्रेषित। 1.

सयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि, शासन आदेश की प्रत्याशा में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करे एवं कृत्य कार्यवाही से म.प्र.शासन विस्त विभाग तथा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर/प्रकोष्ठ भोपाल को अवगत करावे । संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

श्री स्वप्निल गांगुली, शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., उच्च न्यायालय जबलपुर 3.

की ओर पत्र दिनांक 22.02.2016 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रकोष्ठ-भोपाल

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRICIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 1995 7 2015

PETITIONER

Jitendra Babu Ahirwar

VERSUS

RESPONDENTS

State of Madhya Pradesh and

others

INDEX

SI.No.	Description of Documents	Annexure Marked	Page No.
	Index		
2.	Chronology of Events		
3.	Writ Petition with Affidavit		
4.	List of Documents		
5.	Copy of list	P-1	-
6.	Copy of Call Letter di. 08.09.2014	P-2	-
7.	Copy of letter dt. 26.09.2014	P-3	-
8.	Copy of disability certificate dt. 09.08.2012	P-4	
	Copy of Letter dt. 09.06.20 5 P-5		-
9.	Copy of representation.	P-6	
10.	Vakalainama		

Jabalpur

Dated: 20.11.2015

SUNIL MISHRA Counsel for Petitioner

3.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRIC!PAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 19952 2015

PETITIONER

Jitendra Babu Ahirwar

VERSUS

RESPONDENTS

State of Madhya Pradesh and others

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.No.	Date	Description of Events
1.		The petitioner is not challenging any particular order but he is challenging inaction on the parts of the Respondents because Petitioner has been selected for the post of peon through special recruitment conducted by the respondent no.2 and thereafter the medical examination of the Petitioner has been conducted on 24.09.2014 in which the disability of the Petitioner has been found below 40% because of which his candidature for the said post has been rejected by the Respondents although the Petitioner has submitted his medical certificate issued by Medical Board, Distt. Tikamgarh (M.P.) in which the disability of the Petitioner has been shown 45% Petitioner has given several representation for his re-medical examination but the Respondents did not taken any heed.

Jabalpur Dated: 20.11.2015

SUNIL MISHRA Counsel for Petitioner

PRNICIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION NO. 19952 2015

PETITIONER

Jitendra Babu Ahirwar S/o Shri Jhundu Lal Ahirwar Aged about 30 years, Resident of Infront of Temple of Thana, Niwadi, Distt. Tikamgarii (M.P.)

Versus

RESPONDENTS

- State of Madhya Pradesh through its Principal Secretary, M.P. Bhopal.
- Joint Director, Sanchalnalaya Sthaniya Nidhi Sampariksha, Prakoshtha-Bhopal, Satpuda Bhawan, 1st Floor, Bhopal (M.P.)
- Joint Director and Superintendent, Hamidiya Hospital, Bhopal (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA FOR ISSUANCE OF WRIT/WRITS.ORDER/ORDERS. DIRECTION/DIRECTIONS

- 1. Particulars of the cause/order against which the petition is made:-
 - Date of order/Notification/Circular/Policy/Decision etc.
 Nil ~
 - 2. Passed in (Case or File Number): Nil
 - Passed by (Name and designation of the Court, Authority, Tribunal etc.) Nil